P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-III, ISSUE-I, August-2014
E: ISSN No. 2349-9435
Periodic Research

दतिया जिले में भूमि वितरण एवं प्रतिरूप – एक भौगोलिक अध्ययन

शबाना बानो
अतिथि विद्वान
शा. विजयाराजे सिंधिया महाविद्यालय भाण्डेर जिला दतिया म.प्र.

बलवंतराज भदावर
जवाहर नवोदय विद्यालय, बुलन्दशहर उ.प्र.

सारांश

भूमि समाज के लिए प्रकृति का अनुपम निःशुल्क उपहार है। इसमें सृजन एवं पोषण की सामर्थ्य है। इस कारण यह समस्त जीवधारियों के अस्तित्व का आधार है। इसी आधारित उपादेयता के कारण समाज में भूमि को माता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। भारत का भौगोलिक क्षेत्र विश्व के समस्त क्षेत्रफल का केवल 2–4 प्रतिशत भाग है, जबकि विश्व की समस्त जैविक विविधता का 8 प्रतिशत भाग यहाँ है। विभिन्न स्थानों पर भूमि का प्रतिरूप एवं वितरण भिन्न–भिन्न होता है तथा मानव अपनी आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करता है । जो भाग आज सहारा मरूस्थल के नाम से पुकारा जाता है। वह पहिले कभी हरा भरा क्षेत्र था । मानव ने उसकी उर्वरा शक्ति को इस प्रकार नष्ट किया कि स्वयं मानव सभ्यता वहाँ से समाप्त हो गई । इसका कारण मात्र मनुष्य द्वारा उसका सदुपयोग न करना है। भिन्न–भिन्न प्रकार की मृदा में पृथक–पृथक प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। मृद्रा वनस्पति का आधार है, किन्तु वनस्पति मृदा का मूल भी है क्योंकि वनस्पतियों के अपघटन से वनस्पति के तत्व मृदा में मिलकर उसे और उपजाऊ बनतो हैं। इस प्रकार मानव के सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मृदा का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है एवं कृषि उद्योग आदि भी मिट्टी से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार मृदा पर ही समाज का अस्तित्व है।

मुख्य शब्दः निःशुल्क उपहार, जैविक विविधता, उर्वरा शक्ति, उपजाऊ, मृद्रा, वनस्पति

प्रस्तावना

भूमि के गुणों के आधार पर ही भूमि का वितरण किया जाता है। कृषि हेतु किया गया भू–वितरण कृषि के क्रमिक विकास में सहायक सिद्ध होता होता है। भूमि वितरण अनेक उद्यमों के लिए किया जाता है परन्तु एक ही उद्यम के लिए भी भूमि का मूल्यांकन कर सकते हैं। भूमि वितरण दो आधार पर निर्भर करता है।

भू–धारण क्षमता

इसके अंतर्गत भूमि के भौतिक गुणों का मूल्यांकन कर उसकी कृषीय उत्पादन क्षमता निर्धारित की जाती है। भूमि में निहित भौतिक गुण अपरिवर्तनशील होता है। भूमि में उपस्थित भूमि की मूल सामग्री, तापक्रम, मिट्टी के कणों की संरचना आदि तत्व इसके मूल तत्व है तथा इनमें थोड़ी अवधि में परिवर्तन नहीं होता ।

दूसरा संबंधित क्षेत्र में भूमि के गुणों का मूल्यांकन वहाँ उपस्थित सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ, फार्म की संरचना, सिंचाई उपलब्धता पूँजी तकनीक आदि के आधार पर भी किया जाता है।

एल.डी.स्टाम्प ने ब्रिटेन की भूमि का सर्वप्रथम वर्गीकरण प्रस्तुत किया तथा इस व्यवस्थानुसार भूमि को 7 वर्गों में बांटा ।
(1) खेतिहर (2) ऊसर (3) चरागाह (4)बाग–नर्सरी (5)घास स्थली (6)जंगल (7) नगर क्षेत्र के अधीन भूमि ।

इस वर्गीकरण को स्टाम्प ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ''The Land of Britain : Its uses and Misuses'' में विस्तापूर्वक स्पष्ट किया । भारत में M. Shafi (1992) ने इस कार्य को विस्तृत किया ।

अध्ययन क्षेत्र

भारत के मध्यप्रदेश राज्य का दतिया जिला मध्यरेल्वे की मुम्बई–दिल्ली रेल्वे लाईन पर बुन्देलखण्ड में स्थित है। इसका आक्षांशीय विस्तार $25^0$28′ से $26^0$20′ पूर्वी देशांतर के मध्य है। उच्चावच की दृष्टि से जिला बुन्देलखण्ड पठार का समतल मैदानी भाग है, इसके बीच–बीच में अर्द्धचन्द्राकार है। जिला का समुद्र तल से औसत ऊँचाई 218 मीटर है। जिला का उत्तरी–पश्चिमी भाग पूर्वी तथा

दक्षिण पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक ऊँचा है अतः जिला का अधिकांश प्रवाह दक्षिण पूर्व की ओर है। जिला की अपवाह प्रणाली सिन्ध तथा इसकी सहायक नदियों पहुज, महुअर एवं अगोरा नदियों एवं पर्रोन सान सरिताओं द्वारा निर्धारित होती है। अध्ययन क्षेत्र की आकृति त्रिकोणीय है तथा दतिया नगर ग्रेनाइट क्षेत्र में स्थित है। क्षेत्र का कुछ भाग वंजर तथा चट्टानी है। क्षेत्र के दक्षिण पूर्व और पख्चिम में बडौनी पहाडी, उडनू की टोरिया, घरावा के समीप स्थित पहाड़ी है।

ग्वालियर संभाग में स्थित दतिया जिला में तीन तहसीलें हैं जिनके नाम क्रमशः दतिया, सेंवढ़ा और भाण्डेर है तथा अभी 15 अगस्त 2013 को बड़ौनी को भी तहसील बनाए जाने की घोषणा हुई। जिले का कुल क्षेत्रफल 2959 वर्ग कि.मी. है तथा 2011 की जनगणना अनुसार जनसंख्या 786375 है।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य भूमि संसाधनों के आदर्श भूमि उपयोग की एक ऐसी प्रक्रिया प्रस्तुत करना है जिससे उस क्षेत्र की भूमि का कोई भाग वेकार न पडा रहे तथा जिला में भूमि उपयोग का आंकलन करना है जिसमें विकासखण्ड को भी सम्मिलित किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में कृषि, व्यापार उद्योग परिवहन आदि के संबंध में अध्ययन करें तो ज्ञात होता है कि अभी भी जिला पिछडे क्षेत्रों की सूची में शामिल है परन्तु सरकारी प्रयास इस विछडेपन को दूर करने में प्रयासरत है। जिन क्षेत्रों में भूमि उपयोग सही व सुनियोजित ढंग से किया जता है वहाँ की कृषि न केवल फलती–फूलती है बल्कि क्षेत्र का पिछड़ापन भी दूर होता है।

अध्ययन क्षेत्र का अधिकांश भाग सिंध–पहूच दोआव क्षेत्र में आता है तथा इससे गंगा की घाटी का दक्षिणी तट बनता है। इस क्षेत्र में पायी जाने वाली जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ है तथा किन्हीं–किन्हीं स्थानों पर मिट्टी खारी है। जलोढ़क भू–अभिलेख की कटाई, अनियंत्रित चराई आदि के कारण ये भू–भाग बढ़ रहा है। अध्ययन क्षेत्र की काली मृदा चना, ज्वार, गेहूँ व तिलहन के लिए तथा पडुआ मिट्टी ज्वार, चना, राकड़ (कंकरीली) मिट्टी मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त है। तहसील दतिया में बड़ौनी से लेकर निचरौली, दुर्गापुर, बाजनी, करारी तथा कमरारी, कटीली, हतलव वाला भू–भाग अधिकतर पतली मिट्टी वाला है।

खेतों का आकार व आकृति

खेतों का आकार भी कृषीय व फसल प्रारूपों और प्रति इकाई उपज की मात्रा कों उतना ही प्रभावित करता है जितना कि भू–स्वामित्व और कृषि धारण की व्यवस्था। खेतों की जोत का आकार प्रायः घनी आवादी वाले क्षेत्रों में अधिक छोटा होता है। खेतों के जोत के आकार के आधार पर ही किसान द्वारा उठाए जाने वाले जोखिम निर्भर करता है। जितना बड़ा खेत का आकार होगा उतना ही अधिक किसान के जोखिम वहन करने की क्षमता होगी तथा खेत का आकार छोटा होने पर किसान फसल उत्पादन में सीमित सामग्री काम में लेता है तथा जोखिम भी कम वहन करता है। जोत के आकार का सीधा संबंध कृषि में प्रयोग में लायी जाने वाली उच्च तकनीक व कृषि विशिष्टीकरण से है। जोत का आकार के अनुसार ही कृषक अपने खेतों में कृषि सामग्री जैसे ट्रेक्टर, थ्रेसर, हारवेस्टर आदि का प्रयोग करते हैं। घनी आबादी वाले विकासशील देशों में खेतों की जोत का आकार प्रायः बहुत छोटा होता है । हमारे भारत देश में जोत का औसतन आकार बहुत छोटा है। यह औसत लगभग 70 प्रतिशत जोत 1.5 हैक्टेयर से भी छोटे हैं। जोत का आकार भूमि उपयोग की दृष्टि से आर्थिक लाभकारी नहीं रहता । खिण्डित होते–होते खेतों का आकार इतना छोटा हो जाता है कि उसमें कृषि सुधार के अनुकूल तीर–तरीकों का प्रयोग तक संभव नहीं होता है। कृषि अर्थशास्त्रियों के अनुसार ऐसे विखण्डित जोतों पर आर्थिक लाभ की दृष्टि से कृषि संभव नहीं है। कृषि अर्थशास्त्रियों के अनुसार ऐसे विखण्डित जोतों पर आर्थिक लाभ की दृष्टि से कृषि संभव नहीं है।

किसी प्रदेश में भूमि का आवंटन जो फसल प्रतिरूप के लिए उपलब्ध होता है उससे स्थानीय कृषकों का जोत का आकार निर्धारित होता है। इस जोत के आकार से यह सिद्ध होता है कि किसी क्षेत्र में किस प्रकार के कृषक अथवा छोटे, मध्यम या बड़े आकार के कृषक पाए जाते हैं।

अध्ययन क्षेत्र में कुल जोतों की संख्या एवं उनके क्षेत्रफल का आंकलन करने का प्रयास किया जाता है सारणी क्रमांक 2.1 में अध्ययन क्षेत्र में क्रियात्मक जोतो की संख्या एवं क्षेत्रफल हैक्टेयर में दर्शाया गया है।

तलिका संख्या 2.1

दतिया जिला में विकास खण्डवार कृषि जोतों की संख्या

वर्ष/जिला	सीमान्त कृषक (एक हैक्टेयर से कम)		लघु कृषक (एक हैक्टेयर तथा दो हेक्टेयर से कम)		अर्द्ध मध्यम कृषक	
	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल
	57540	26553	29274	42045	21055	58661
तह./विकास खण्ड						
सेवढा	19913	9590	9971	14494	7114	19876
दतिया	23003	10510	12690	18047	8927	24511
भाण्डेर	14824	6433	6613	9504	5424	14284

स्त्रोत – जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2012–13

तालिका से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में सीमान्त कृषकों की संख्या सर्वाधिक है। यहाँ सीमान्त कृषक 57540 की संख्या में तथा 26553 क्षेत्रफल पर निवासरत हैं। लघु कृषक जिनके पास एक हैक्टेयर से अधिक तथा दो हैक्टेयर से कम कृषि जोत हैं उनकी संख्या 29274 तथा क्षेत्रफल 42045 है। इसी प्रकार अर्द्ध मध्यम कृषकों की संख्या व क्षेत्रफल क्रमशः 21055, 58661 है।

विकास खण्डवार अध्ययन करें तो स्पष्ट होता है कि सेवढ़ा तहसील में सीमान्त कृषकों की संख्या 19913 तथा क्षेत्रफल 9590 है। 9971 लघु कृषकों की संख्या तथा क्षेत्रफल 14494 है तथा अर्द्ध मध्यम कृषक जिनके पास दो हेक्टेयर से अधिक तथा चार हेक्टेयर से कम भूमि है उनकी संख्या 7114 व क्षेत्रफल 19876 है।

P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-III, ISSUE-I, August-2014
E: ISSN No. 2349-9435
Periodic Research

दतिया तहसील में सीमान्त कृषकों की संख्या अन्य तहसीलों की अपेक्षा अधिक अर्थात 23003 है लघु व अर्द्ध माध्यम कृषक क्रमशः 12690 तथा 8927 है।

भाण्डेर तहसील में सीमान्त कृषक अन्य तहसीलों से अपेक्षाकृत न्यून 14824 तथा क्षेत्रफल 6433 है। इसी प्रकार लघु व अर्द्ध मध्यम कृषकों की संख्या क्रमशः 6614 व 5424 है तथा क्षेत्रफल क्रमशः 9504 व 14284 है। कुल जोतों की संख्या के आधार पर कृषकों की संख्या व क्षेत्रफल का आंकलन करने पर विकास का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है।

तलिका संख्या 2.2

दतिया जिला में विकास खण्डवार कृषि जोतों की संख्या

वर्ष/जिला	मध्यम कृषक 4 से अधिक 10 हैक्टेयर से कम)		वृहद कृषक 10 से अधिक)		कुल	
	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल
	11277	62921	1243	17421	120939	207601
तह./विकास खण्ड						
सेवढा	3363	18982	305	4043	40666	66985
दतिया	4552	25153	542	7824	49654	86055
भाण्डेर	3362	18785	396	5554	30619	54561

तालिका से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में मध्यम कृषकों की संख्या 11277 तथा क्षेत्रफल 62921 है। वृहद कृषकों की संख्या सर्वाधिक कम 1243 ही है।

सेवढ़ा व भाण्डेर तहसील में मध्यम व वृहद कृषकों की संख्या क्रमशः 3363 व 3362 है तथा दतिया तहसील में मध्यम व वृहद कृषकों की संख्या अन्य तहसीलों की अपेक्षा अधिक क्रमशः 4552 व 542 है।

निष्कर्षतः स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में सीमान्त कृषक सर्वाधिक हैं जिनके पास एक हैक्टेयर से कम भूमि है तथा वृहद कृषक जिनके पास 10 हैक्टेयर से अधिक भूमि है, उनकी संख्या सबसे कम 1243 ही है।

भूमि चकबंदी

बिखरी हुई जोतों पर कृषि कार्य का परिचालन, प्रबंध व देखभाल कुशलतापूर्वक संभव नहीं है। चकबन्दी अपनाकर अनावश्यक श्रम के अपव्यय से बचा जा सकता है तथा कृषक खेत को समेकित करके उसे बाढ़ (Fence) द्वारा निर्धारित कर अपनी फसल की सही देखरेख कर सकता है। जो खेत विखण्डित होते हैं उनकी जोतों की सीमाएं निर्धारित करना तथा उनको बंधित करने से कृषि भूमि का दुरूपयोग होता है। इस दुरूपयोग से बचने के लिए चकबन्दी का प्रयोग कृषि कार्य में कर सकते हैं।

जोतों से संबंधित कई समस्यायें चकबंदी के द्वारा हल की जा सकती है तथा खेतों को भी चकबंदी के द्वारा इतना आकार प्राप्त हो जाता है कि एक किसान परिवार का भरण पोषण सरलतापूर्वक हो जाए। विशेषज्ञों की मान्यतानुसार ''भारत में कृषि व जलवायु दशाओं के अनुरूप कम से कम दो हेक्टेयर से बड़ा फार्म ही न्यूनतम आय व रोजगार हेतु समर्थ होता है''।

स्वतंत्रता प्राप्ति से ही भारत में ऐसे कदम उठाये गये हैं जिससे कृषकों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके । अध्ययन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है। वर्तमान समय में जिले की जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है। वर्तमान समय में जिले की जनसंख्या में वृद्धि होने से खेतों के उप विभाजन तथा उपखंडन होने लगे, जिससे किसानों को बड़ी परेशानी होने लगी, अतः भूमि के उप विभाजन एवं उपखण्डन के निवारण हेतु प्रयुक्त साधनों में चकबंदी के द्वारा आर्थिक जोतों का निर्माण होकर सहकारी कृषि के लिए मार्ग भी प्रशस्त होता है, समय एवं श्रम की बचत, सिंचाई एवं बागानी कृषि पद्धति के द्वारा भूमि का सुधार, व्यक्तिगत जोतों एवं ग्रामीण जनजीवन का पुनः आयोजन होता है। उसी आधार पर चकबन्दी की आवश्यकता पर विशेष बल दिया जाने लगा है।

यह योजना जोतों के बिखराव से होने वाली हानि को समाप्त करने की लाभदायक योजना है लेकिन यह योजना देश के सभी राज्यों में पूर्ण रूप से लागू नहीं की जा सकती है केवल कुछ ही राज्यों में यह योजना लागू करने से कई प्रकार की समस्याएं आईं।

1. किसान चकबन्दी की योजना को अपने पैतृक भूमि–सम्पत्ति से मोहवश के कारण अपनाते नहीं है।
2. कुछ कृषक चकबंदी इसलिये नहीं अपनाते क्योकि उन्हें डर रहता है कि चकबंदी के बाद उन्हें उपजाऊ भूमि की जगह खराब भूमि प्राप्त होगी।
3. चकबंदी योजना अपनाने में कृषकों की सहमति, सहयोग, समर्थन तथा सरकार के पुख्ता नियमों के बीच सामंजस्य स्थापित होना आवश्यक होता है। इन सबके अभाव में यह योजना कृषक नहीं अपना पाते।
4. उत्तराधिकारी कानूनी के कारण खेत के आकार छोटे एवं विखडित हो रहे हैं।
5. जब किसानों से चकबंदी पर आय–व्यय की बसूली की जाती है तव उनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती है।

उपर्युक्त कमी को समाप्त करने के प्रयास किये जाने चाहिए तथा राजस्व रिकार्ड को रखने वाले तंत्र का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिये। इस संबंध में सातवी पंचवर्षीय योजना में कई बातों पर बल दिया गया।

1. असर्वेक्षित भूमि का सर्वेक्षण करना।
2. भूमि रिकार्ड में बंटाईदार तथा फसल हिस्सेदार का नाम लिखना ।
3. निचले स्तर पर राजस्व तंत्र को मजबूती प्रदान करना।
4. राजस्वकर्मियों को प्रशिक्षित करना आदि।

चकबंदी का कार्य भी दो प्रकार से होता है।

1. इच्छानुसार चकबंदी या ऐच्छिक चकबंदी।
2. अनिवार्य चकबंदी ।

मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात राज्य में इच्छानुसार चकबंदी वर्तमान में प्रभावी है तथा नागालैण्ड, तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश और आंध्रप्रदेश में चकबंदी से संबंधित कोई भी कानून प्रभावी नहीं है।

जबकि जो भी शेष राज्य है। उनमें अनिवार्य चकबंदी व्यवस्था लागू है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचन से निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारत की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या तथा उत्तराधिकारी का प्रचलित कानून ऐसे कारण है कि अच्छी उपज देने हेतु काश्तकारों को औसत आकार के मानक खेत भी रखने में बाधक सिद्ध हुये हैं। भारत सहित उसके पड़ौसी देशों यथा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में उत्तराधिकारी नियम के फलस्वरूप खेतों का विभाजन व जोत–खिण्डन हो जाता है और मृतक की सम्पत्ति उसके उत्तराधिकारी में बराबर–बराबर विभाजित हो जाती है । प्रत्येक उत्तराधिकारी अलग–अलग स्थित खेत में अपना भाग उसी स्थित खेत में लेने के लिए अड़ा रहता है इससे अलग–अलग दूरी में स्थित खेत में उसका भाग भी आगे विखण्डित हो जाता है इससे अधिकतर भूमि व्यर्थ हो जाती है । अध्ययन क्षेत्र में खेत छोटे होने के कारण आधुनिक यंत्रों का प्रयोग सरलतापूर्वक नहीं किया जा सकता तथा दूर छोटे–छोटे बिखरे हुये खेतों में कृषि कार्य सम्पन्न करने में समय अधिक लगता है। रूढ़िवादी विचारों तथा परम्परागत दृष्टिकोण के कारण कृषक इन खेतों में स्थायी सुधार भी नहीं करता इसलिये यहाँ कृषि लागत अधिक उत्पादन तथा कृषि में बचत एवं विनियोग की कमी रती है। उपर्युक्त समस्या के नियोजन के हेतु चकबंदी की जाए तथा छोटे–छोटे बिखरते खेतों को मिलाकर बड़े–बड़े खेते बनाकर कृषि कार्य किया जाये तथा समस्त कृषकों की एक ही स्थान पर समस्त खेती कर दी जाये क्योकि सामाजिक दृष्टि से जोत–खिण्डन भले ही न्यायपरक हो परन्तु आर्थिक दृष्टि से यह उपयोगी नहीं है।

सन्दर्भ

1. सिंह ब्रजभूषण, कृषि भूगोल, ज्ञानोदय प्रकाशन, गोरखपुर, 1988, पृ0–133
2. सिन्हा, अनिल कुमार, 2010, ''भूमि उपयोग प्रतिरूप – सरगुजा (छ.ग.) के विशेष सन्दर्भ में '' चर्मण्वती, भूगोल शोध पत्रिका
3. सिसौदिया, एम.एस., 2011, ''दतिया (म.प्र.) जिले का परिवर्तित भूमि उपयोग'' चर्मण्वती, भूगोल शोध पत्रिका
4. कुमार प्रमिला, '' मध्य प्रदेश का प्रादेशिक भूगोल'', मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, पृ0–15
5. कुमार प्रमिला एवं शर्मा कमल, ''मध्य प्रदेश एक भौगोलिक अध्ययन'', मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 2010, पृ0–31
6. सिंह ब्रजभूषण, कृषि भूगोल, ज्ञानोदय प्रकाशन, गोरखपुर, 1988, पृ0–45
7. मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2010–11, पृ0–34